राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1125/2011/बाड़मेर.

मैसर्स मेघ इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/01/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या उपाजो/कर–।।।/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.04.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई अधिनियम के तहत दिनांक 10.6.2005 से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है, जिसके टिन 08072453256 दिनांक 2.8.2005 को जारी किया गया था। पंजीयन प्रमाण–पत्र में सीमेंट आर्टिकल्स, हल्के पोल व इसके पार्ट्स, सीमेंट ईंटें व ब्लॉक्स, सीमेंट जाली, पागा आदि निर्मित किया जाना अंकित है। इस निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में सीमेंट, बजरी, मूंगिया सेंड आदि अंकित है तथा मशीनरी में मिक्सचर मशीन, वायब्रेंट्स स्पेयर्स मशीनरी अंकित है। अपीलार्थी को पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात दिनांक 5.8.2005 को व्यवसाय स्थल की जांच वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा की गई थी। इकाई को उद्योग विभाग द्वारा अस्थाई प्रमाण–पत्र संख्या 08170305676 दिनांक 8.8.2005 जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा महिला उद्यमी के रूप में कर मुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु दिनांक 8.8.2005 को सक्षम अधिकारी ने प्रमाण–पत्र पर निस्तारण दिनांक 15.7.2008 से पूर्व सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से रिपोर्ट दिनांक 18.01.2006 प्राप्त की गई थी। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1534/2008/बाड़मेर प्रस्तुत की गयी थी, जिसे निर्णय दिनांक 27.8.2009 से निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था :–

लगातार.....2

".....यह निर्देश दिये जाते हैं कि उन्होंने आदेश में जिस जांच के आदेश दिये थे उस जांच को मध्य नजर रखते हुए, पंजीयन जारी के समय जो पंजीयन जांच की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया गया अथवा नहीं, माल भाड़ा चुकाया गया अथवा नहीं, मजदूरी दी गई अथवा नहीं, क्रय विक्रय किया गया अथवा नहीं आदि की जांच के उपरान्त पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें।"

प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.4.2011 पारित किया, जिसमें पूर्व आदेश दिनांक 15.7.208 को यथावत रखा गया है। इस आदेश के विरूद्ध पुनः यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय की पालना में सक्षम अधिकारी ने बिना जांच करवाये करमुक्ति आवेदन को अस्वीकार किया है, जो कि कर बोर्ड के निर्णय की अवहेलना है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में अपीलार्थी को पंजीयन प्रमाण—पत्र की जांच में अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया जाना, खरीद करना, मजदूरी आदि के प्रमाण उपलब्ध करवाये गये थे, जिनके आधार पर कर बोर्ड ने पुनः जांच बाद आवेदन निस्तारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। अपीलार्थी द्वारा विक्रय बिल जारी किये गये हैं, उनमें कोई जांच नहीं की गई। घोषणा पत्रों के समर्थन से कच्चा माल सीमेंट क्रय किया गया है। सक्षम अधिकारी ने पूर्व रिपोर्ट तथा कर निर्धारण अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदन का निस्तारण कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच में वास्तव में विनिर्माण होने के कोई प्रमाण नहीं पाये गये हैं, इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर बोर्ड के निर्णय की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 10.2.2010 को पत्र लिखा गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने जांच किये बिना ही तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाई, जिसमें पूर्व जांच का संदर्भ दिया गया है। अपने स्तर पर पुनः जांच नहीं की गई है, इसलिए अपील स्वीकार योग्य है।

लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 27.8.209 से कतिपय बिन्दुओं पर पुनः जांच कर तथ्य प्रमाणित किये जाने के उपरान्त करमुक्ति आवेदन पर निस्तारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा बिना तथ्यों की जांच कराये ही आवेदन निरस्त कर दिया गया है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। कर बोर्ड के निर्णय की पालना में तथ्यों की पुनः जांच कर तथ्यों की पुष्टि के पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
09/01/ सदस्य